



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171912

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 48697 वर्ष 2025

मोहम्मद आतिफ और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अहमद अली सिद्दीकी, अमन श्रीवास्तव, मोहम्मद रिजवान अली, मो.

समीउज्जमां खान, जीशान खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आदित्य कुमार आर्य, शासकीय अधिवक्ता, रामेन्द्र ओझा

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर की दिनांक 5.2.2026 की रिपोर्ट की प्रति, जिसे राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनंद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदकों के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी पक्षकार संख्या 1 की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनंद तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के अधिवक्ता श्री रामेंद्र ओझा को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आरोप-पत्र दिनांक 19.5.2023, संज्ञान आदेश दिनांक 25.10.2023 तथा सत्र परीक्षण संख्या 978 सन् 2023, जो मुकदमा अपराध संख्या 73 सन् 2023, धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं., धारा 3(1)दा, 3(1)ध, 3(2)(व) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर से उद्भूत है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), फतेहपुर के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को समझौता दिनांक 9.9.2025 तथा विशेष न्यायाधीश, एस.सी. एवं एस.टी. (पी.ए.) अधिनियम, फतेहपुर द्वारा दिनांक 3.11.2025 को किए गए उसके सत्यापन के आधार पर निरस्त किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि:-

(i) पक्षकारों के मध्य विवाद पूर्णतः दीवानी और निजी प्रकृति का था;

(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा पक्षकारों के मध्य गलतफहमियों और भ्रान्त धारणाओं के कारण दर्ज कराई गई थी तथा कथित रूप से आरोपित किसी वास्तविक घटना के कारण नहीं;

(iii) आवेदकों की ओर से कभी कोई आपराधिक आशय नहीं था और न ही कथित रूप से कोई आपराधिक अपराध कभी घटित हुआ था;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) वर्तमान में विवाद के पक्षकारों ने अपने मतभेदों का समाधान कर लिया है और आपस में शांति स्थापित कर ली है;

(v) पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत, पक्षकार यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सामान्य संबंध विकसित करने और उसका अनुभव करने का एक और अवसर प्रदान किया जाए;

(vi) आपराधिक विचारण को जारी रखने से वास्तव में पक्षकारों के सामान्य संबंध बनाए रखने की अन्यथा अच्छी संभावना बाधित हो सकती है; तथा

(vii) ऐसी परिवर्तित परिस्थितियों में प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध आरोपों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों द्वारा समझौता विलेख संबंधित न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.10.2025 के अनुपालन में पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिसके पश्चात दिनांक 3.11.2025 के आदेश द्वारा समझौते का विधिवत सत्यापन किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर द्वारा भेजी गई दिनांक 5.2.2026 की रिपोर्ट के अनुसार, सूचनादाता/पीड़ित द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत राज्य से प्राप्त प्रतिकर की धनराशि दिनांक 4.2.2026 को राजकीय कोष में जमा कर दी गई है।

6. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की शुद्धता पर विवाद नहीं करते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस तथ्य को देखते हुए कि पक्षकारों के मध्य विवाद मूलतः दीवानी और निजी प्रकृति का है तथा उनके मध्य हुए समझौते के अनुसरण में उनकी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से उसका समाधान कर लिया गया है, आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466** में, **योगेन्द्र यादव बनाम झारखंड राज्य, (2014) 9 एससीसी 653** और **परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641** में प्रतिपादित विधि के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, उपर्युक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

8. वर्तमान आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

14 अगस्त, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)